24/01/25

वकील अपीलान्ट उप/वकील अपीलान्ट को
दुरागमन/पत्रावली का अवलोकन किया। ~~अतः~~
अपील अपीलान्ट के अभिभाषक व रेस्पोंडेन्ट के
अभिभाषक ने स्वीकार किए जाने हेतु कथन किया।
अपील अभिभाषकगण उपखण्ड अधिकारी की सहमति से
तथा पत्रावली पर उपलब्ध पहचान लेख की
छायाप्रतियों के अवलोकन उपरान्त स्वीकार की
जाकर प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित
किया जाता है कि अपीलान्ट के दुरागमन के कारण
प्रदान का मृतक रामसिंह के वारिसान की विधवा
पत्नी प्रकाशवती हो जावे कि रामसिंह वल्दी स्वर्गी
के नाम ही मृतक रामसिंह के वारिस है तो
अपीलान्ट का नाम निरस्त कर पुराने नाम की
कार्यवाही की जावे। विस्तृत निर्णय प्रकरण के निकाल
पश्चात दुरागमन शामिल पत्रावली है। पत्रावली
अपील मुकाम होकर नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)